

कार्यालय :-प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची

(E-mail ID – principaletcjharkhand@gmail.com)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

“भोजनादि व्यवस्था (साफ–सफाई, सफाई सामग्री एवं रख रखाव व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने हेतु निविदा का आमंत्रण”

निविदा सूचना संख्या – 01 / 2024–25

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित होने वाले प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषकों/अन्य क्षेत्रीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को भोजनादि व्यवस्था (साफ–सफाई, सफाई सामग्री एवं रख–रखाव व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने हेतु निबंधित एवं अनुभवी संस्थान/आपूर्तिकर्ता से निविदा का आमंत्रण:-

क्रमांक	कार्य	विवरण
1	कार्य विवरण	कृषकों/अन्य क्षेत्रीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान भोजनादि व्यवस्था (साफ–सफाई, सफाई सामग्री एवं रख–रखाव व्यवस्था के साथ)
2	कार्य का व्यौरा	–प्रशिक्षणार्थियों के लिए चाय, प्रातः कालीन नास्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रीकालीन भोजन –छात्रावास भवन, कमरे, शौचालय, कैन्टीन आदि की सफाई –छात्रावास भवन के कमरों के विस्तर का चादर, तकिया खोल, मच्छरदानी, कम्बल आदि की धुलाई एवं उन्हें प्रशिक्षण के दौरान संरक्षित रखना (उचित सफाई सामग्री के द्वारा – छात्रावास/कैन्टीन में बिजली की साधारण एवं सामान्य देखरेख)
3	अनुबंध की अवधि	अनुबंध पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए
4	निविदा प्रकाशन की तिथि	01 अगस्त 2024
5	परिमाण विपत्र का मूल्य	₹0 5,000/- (पाँच हजार मात्र) का बैंक ड्राफट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा PRINCIPAL, EXTENSION TRAINING CENTRE, HEHAL के पदनाम से निर्गत एवं RANCHI में भुगतेय होगा। (Non refundable)
6	अग्रधन की राशि	₹0 40,000/- (चालीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा PRINCIPAL, EXTENSION TRAINING CENTRE, HEHAL के पदनाम से निर्गत एवं RANCHI में भुगतेय होगा।
7	निविदा पत्र कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	22 अगस्त 2024 03.00 बजे अपराह्न तक।
8	निविदा प्रस्ताव जमा करने की तिथि एवं समय	27 अगस्त 2024 05.00 बजे अपराह्न तक।
9	निविदा पत्र खोलने की तिथि एवं समय	28 अगस्त 2024 02.30 बजे अपराह्न तक।
10	निविदा पत्र प्राप्त करने, जमा करने एवं खोलने का स्थान	कार्यालय, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची – 834005

Note : The Principal, E.T.C, Hehal, Ranchi reserves the rights to make the necessary changes .

The same shall be informed to the Tenderer as and when required.

• तकनीकी बीड़ की शर्तें :-

1. चयनित निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित भेनु के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को चाय, प्रातःकालीन नास्ता, दोपहर का भोजन, सायंकालीन चाय नाश्ता एवं रात्रिकालीन भोजन तथा छात्रावास एवं कैन्टीन की साफ-सफाई, शयन सामग्री की साफ सफाई, रख रखाव, बिजली की सामान्य देखरेख आदि व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदा समर्पित करने वाले संस्थान/आपूर्तिकर्ता का पिछले तीन वित्तीय वर्ष में औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 20 लाख रुपये मात्र का होना अनिवार्य है। जिसके समर्थन में चार्टड एकाउन्टेट द्वारा अकेंक्षित स्वअभिप्राणित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. निविदा समर्पित करने वाले संस्थान/आपूर्तिकर्ता को अग्रधन की राशि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत 40,000.00 (चालीस हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो PRINCIPAL, EXTENSION TRAINING CENTRE, HEHAL payable at RANCHI होगा, प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। संस्थान/आपूर्तिकर्ता के चयनोपरांत चयनित संस्थान द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि को जमानत राशि के रूप में कार्यालय द्वारा रख लिया जायेगा जिसे संतोषप्रद कार्य एवं एकरारनामा समाप्ति के उपरांत बिना किसी बैंक ब्याज के वापस किया जायेगा।
4. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात असफल बीड़र का अग्रधन बिना किसी बैंक ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।
5. परिमाण विपत्र का क्य मूल्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत 5000.00 (पाँच हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट होगा जो PRINCIPAL, EXTENSION TRAINING CENTRE, HEHAL payable at RANCHI होगा।
6. जमा की गयी परिमाण विपत्र का मूल्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को झारखण्ड सरकार वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। उन्हें वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत GST पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन की स्वअभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. झारखण्ड सरकार, श्रम विभाग द्वारा निर्गत लेबर लाईसेंस (Labour Licence) की स्वअभिप्राणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को संबंधित कार्य करने का झारखण्ड के नगर निगम में पंजीकरण का कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को झारखण्ड से प्राप्त फूड लाईसेंस का कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को पिछले दो वर्षों का दाखिल GST return एवं पिछले तीन वर्षों का आयकर रिट्टन का स्वअभिप्राणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को झारखण्ड में किसी सरकारी/गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में भोजन आपूर्ति करने संबंधित कम से कम तीन वित्तीय वर्षों का निर्विवाद कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है जिसके समर्थन में आपूर्तिकर्ता को संबंधित संस्थान द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राणित छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद के तिथि का प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

वित्तीय बीड की शर्तें :-

1. तकनीकी बीड में निहित आहर्ता को पूरा करने वाले निविदादाता संस्थानों/आपूर्तिकर्ताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
2. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित मेनु के अनुरूप ही संबंधित निविदा समर्पित करने वाले निविदादाताओं द्वारा वित्तीय बीड में उसका दर (उसपर अनुमान्य सभी कर अलग-अलग) अंकित किया जायेगा।
3. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता को केवल एक दर उद्धृत करना होगा अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. दर की तुलना प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के भोजन के कुल दर के आधार पर किया जायेगा।

सामान्य निर्देश :-

1. संस्थान/आपूर्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में फर्जी अथवा बनावटी (Manipulated) पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता संस्थान का निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
2. चयनित संस्थान/आपूर्तिकर्ता को प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित मेनु के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, शुद्ध एवं ताजा भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी स्तर से आपूर्ति किये जा रहे भोजन सामग्रियों की गुणवत्ता में शिकायत अथवा निम्न कोटि के पाये जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता संस्थान को एक सप्ताह के पूर्व नोटिस पर उनकी सेवा समाप्त करने, अग्रधन की राशि जट्ठ करने तथा अनुमोदित दर (L1) पर अन्य संस्थान/आपूर्तिकर्ता से कार्य कराने का अधिकार प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची को रहेगा।
3. बर्तन, उच्च कोटि का कच्चा माल, गैस, सफाई और खान-पान, कर्मचारियों सहित खाना बनाने के लिए आवश्यक सभी बस्तुओं की व्यवस्था एवं खरीद के लिए संस्थान/आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार होगा।
4. कैट्टीन, छात्रावास, कमरों, तथा शौचालय (Phenyl, Toiletcleaner के साथ दिन में एक बार) की पूर्ण साफ-सफाई दैनिक, चादर, तकिया खोल की धुलाई सप्ताहिक तथा कम्बल -मच्छरदानी आदि की धुलाई (धुलाई सामग्री के साथ) मासिक रूप से करने की जिम्मेदारी चयनित संस्थान/आपूर्तिकर्ता की होगी। धुलाई के पश्चात उनका प्रशिक्षण के दौरान संरक्षण एवं वितरण एवं प्रशिक्षण समाप्ति के बाद स्टोर कीपर को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. चयनित संस्थान/आपूर्तिकर्ता द्वारा छात्रावास, कैट्टीन में साफ सफाई के साथ सामानों का रख रखाव एवं बिजली की सामान्य/साधारण देखरेख एवं मरम्मति करनी होगी।
6. निविदा का प्रस्ताव निर्धारित तिथि एवं समय तक मुहरबंद लिफाफे में हाथों-हाथ अथवा स्पीड पोस्ट /निर्बंधित डाक से प्राप्त किया जायेगा। निविदा दो लिफाफे पद्धति के अनुसार प्राप्त की जायेगी एक लिफाफे में तकनीकी बीड तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बीड होगा दोनों लिफाफे को अलग-अलग मुहरबंद कर उसे एक तीसरे लिफाफे में डालकर उसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
7. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात किसी अन्य माध्यम से निविदा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
9. किसी भी सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता संस्थान/आपूर्तिकर्ता से प्राप्त निविदा के आधार पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
11. प्राप्त प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची को सुरक्षित रहेगा।
12. कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए प्रशासन के सभी आवश्यक निर्देशों एवं सावधानियों का चयनित संस्थान/आपूर्तिकर्ता को पालन करना होगा।
13. यदि किसी प्रशिक्षण की अवधि अगले वित्तीय वर्ष में भी चला जाता है तो कार्यरत संस्थान/आपूर्तिकर्ता ही उस प्रशिक्षण अवधि तक कार्य करेंगे।

प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र
हेहल राँची

(लेटर हेड में)
तकनीकी बीड

सेवा में,

प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
हेहल, राँची।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषकों/ क्षेत्रीय एवं अन्य तकनीकी पदाधिकारियों को भोजनादि व्यवस्था (साफ–सफाई, सफाई सामग्री एवं रख–रखाव व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी बीड़—

क्रम संख्या	विवरण	आपूर्तिकर्ता द्वारा भरा जाय
1	आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	
2	GST पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र	
3	आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं (PAN Number) का स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र	
4	GST रिटर्न का स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र (पिछले दो वर्षों का) 2022–23 एवं 2023–24	
5	Telephone No & Fax No.	
6	Contact No/ Mobile No.	
7	Email Id/Fax No.	
8	Incom tax return का स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र (पिछले तीन वर्षों का) 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23	
9	वार्षिक टर्न ओवर (औसत वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन वर्षों का, चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा अकेंक्षित स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र)	
10	लेबर लाइसेंस (Labour Licence) झारखण्ड सरकार, श्रम विभाग द्वारा निर्गत स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र	
11	झारखण्ड के नगर निगम से संबंधित कार्य करने का पंजीकरण का स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र	
12	झारखण्ड से प्राप्त फुड लाइसेंस का स्वअभिप्राप्ति प्रमाण पत्र	
13	समग्र अनुभव सरकारी/गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में भोजन आपूर्ति का कम से कम तीन वित्तीय वर्षों का अनुभव का संबंधित संरक्षण द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्वअभिप्राप्ति छायाप्रति	
14	परिमाण विपत्र का मूल्य का विवरण (राशि, वैंक ड्राफ्ट संख्या, वैंक, शाखा, दिनांक)	
15	अग्रधन की राशि का विवरण (राशि, वैंक ड्राफ्ट संख्या, वैंक, शाखा, दिनांक)	

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर मुहर के साथ

नाम/ पता/ मोबाइल नं/ दिनांक



सेवा में

(लेटर हेड में)
वित्तीय बीड -1प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
हेहल, राँची।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषकों/क्षेत्रीय एवं तकनीकी पदाधिकारियों को पाँच दिवसीय भोजनादि व्यवस्था (साफ-सफाई, सफाई सामग्री एवं रख-रखाव व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने का वित्तीय बीड -

दिन	सुबह का चाय	नास्ता	भोजन	शाम का नास्ता	रात्रि भोजन
1	चाय, चार बिस्कुट	प्लेन रोटी (चार पीस) सब्जी	प्लेन राईस, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, अरहर दाल, रसगुला/गुलाब जामुन (दो पीस), सलाद, पापड, अचार, अण्डा करी (दो पीस), पनीर (100 ग्राम)	चाय, ब्रेड पकौडा 2 पीस, केचप/चटनी	चपाती, दाल, प्लेन राईस, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, खीर (100 ग्राम) पापड, आचार, सलाद
2	चाय, चार बिस्कुट	आलू पराठा (चार पीस), हरा सब्जी, जलेबी (2 पीस)	पुलाव, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, अरहर दाल मिठा दो पीस सलाद, पापड, अचार, चिकन (चार पीस-120 ग्राम), पनीर (100 ग्राम),	चाय, आलू चौप/बेसन पकौडा - एक प्लेट, केचप/चटनी	चपाती, दाल, प्लेन राईस, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, हलवा (100 ग्राम) पापड, आचार, सलाद
3	चाय, चार बिस्कुट	ईडली (5पीस), सांभर, चटनी, हलवा	जीरा राईस, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी अरहर दाल, गुलाब जामुन/रसगुला (दो पीस), चिकन (चार पीस-120 ग्राम), पनीर (100 ग्राम) सलाद, पापड, अचार	चाय, बेजिटेबल पकौडा एक प्लेट, केचप/चटनी	चपाती, दाल, प्लेन राईस, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, सेवई (100 ग्राम) पापड, आचार, सलाद
4	चाय, चार बिस्कुट	कचौड़ी(चार पीस), सब्जी के साथ	प्लेन राईस, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, अरहर दाल, गुलाब जामुन/रसगुला (दो पीस), सलाद, पापड, अचार	चाय, आलू चौप (दो पीस), केचप/चटनी	चपाती, दाल, प्लेन राईस, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, हलवा (100 ग्राम) पापड, आचार, सलाद
5	चाय, चार बिस्कुट	छोला भटुरा (3पीस-बड़ा प्लेट साईज), सलाद, आचार	प्लेन राईस, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, अरहर दाल, रसगुला/गुलाब जामुन (दो पीस) सलाद, पापड, अचार, मछली (चार पीस-120 ग्राम), पनीर (100 ग्राम)	चाय, कट्टेट दो पीस, केचप/चटनी	चपाती, दाल, प्लेन राईस, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, सेवई (100 ग्राम) पापड, आचार, सलाद

पैकड़ पीने का पानी, आईस्कीम, बिस्कुट, कोल्ड झ्रीक्स इत्यादि के मामले में मुद्रित दर पर आपूर्ति की जायेगी।

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर मुहर के साथ
नाम / पता / मो० नं० / दिनांक

(लेटर हेड में)
वित्तीय बीड -2

सेवा में,

प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
हेल, राँची।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेल, राँची में संचालित प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषकों/क्षेत्रीय एवं अन्य तकनीकी पदाधिकारियों को तीन दिवसीय भोजनादि व्यवस्था (साफ-सफाई, सफाई सामग्री एवं रख-रखाव व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने का वित्तीय बीड -

दिन	सुबह का चाय	नास्ता	भोजन	शाम का नास्ता	रात्रि भोजन
1	चाय, चार बिस्कुट	प्लेन रोटी (चार पीस) सब्जी, जलेबी (2 पीस)	प्लेन राईस, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, अरहर दाल, गुलाब जामुन/रसगुला (दो पीस), सलाद, पापड़, अचार	चाय, ब्रेड पकौड़ा 2 पीस, केचप/चटनी	चपाती, प्लेन राईस, दाल, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, खीर (100 ग्राम) पापड़, आचार, सलाद
2	चाय, चार बिस्कुट	ईडली (5पीस), सांभर, चटनी, हलवा	जीरा राईस, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी अरहर दाल, गुलाब जामुन/रसगुला (दो पीस), चिकन (चार पीस - 120 ग्राम), पनीर (100 ग्राम) सलाद, पापड़, अचार	चाय, बेजिटेबल पकौड़ा एक प्लेट, केचप/चटनी	चपाती, प्लेन राईस, दाल, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, हलवा, (100 ग्राम) पापड़, आचार, सलाद
3	चाय, चार बिस्कुट	कचौड़ी (चार पीस), सब्जी के साथ, जलेबी (2 पीस)	प्लेन राईस, चापाती, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, अरहर दाल, रसगुला/गुलाब जामुन (दो पीस) सलाद, पापड़, अचार, मछली (चार पीस - 120 ग्राम), पनीर (100 ग्राम)	चाय, कट्टेट दो पीस, केचप/चटनी	चपाती, प्लेन राईस, दाल, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, सेवई, (100 ग्राम) पापड़, आचार, सलाद

पैकड़ पीने का पानी, आईस्कीम, बिस्कूट, कोल्ड ड्रींक्स इत्यादि के मामले में मुद्रित दर पर आपूर्ति की जायेगी।

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर मुहर के साथ
नाम/ पता/ मो० नं०/ दिनांक

(लेटर हेड में)
वित्तीय बीड -3

सेवा में,

प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
हेहल, राँची।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची में संचालित प्रशिक्षणों में भाग लेने वाले कृषकों/क्षेत्रीय एवं अन्य तकनीकी पदाधिकारियों को एक दिवसीय भोजनादि व्यवस्था (साफ-सफाई, सफाई सामग्री एवं रख-रखाव व्यवस्था के साथ) उपलब्ध कराने का वित्तीय बीड :-

दिन	सुबह का चाय	नास्ता	भोजन	शाम का नास्ता	रात्रि भोजन
1	चाय, चार बिस्कुट	ईडली (5पीस), सांभर, चटनी, हलवा	जीरा राईस, चापाती, हरा सब्जी, सुखा सब्जी अरहर दाल, गुलाब जामुन/रसगुला (दो पीस), चिकन (चार पीस - 120 ग्राम), पनीर (100 ग्राम) सलाद, पापड़, अचार	चाय, बेजिटेबल पकौड़ा एक प्लेट, केचप/चटनी	चपाती, प्लेन राईस, दाल, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, हलवा, (100 ग्राम) पापड़, आचार, सलाद

पैकड़ पीने का पानी, आईस्क्रीम, बिस्कूट, कोल्ड ड्रीक्स इत्यादि के मामले में मुद्रित दर पर आपूर्ति की जायेगी।

आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर मुहर के साथ
नाम/ पता/ मो० नं०/ दिनांक